(74)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं हेतु सूचना

उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनान्तर्गत राज्य के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों से दिनांक 25.04.2018 के उपरांत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त रू0 25,000/– (पच्चीस हजार) मात्र दिया जाना है। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

अतः राज्य के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों से दिनांक 25.04.2018 के उपरांत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्नातक उत्तीर्ण छात्राएँ निम्न प्रपत्र में वांछित सूचना अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त सूचना संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव के माध्यम से उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रतिवेदित की जाएगी। सूचना प्राप्ति के उपरांत कर्णांकित राशि लाभुकों के खाते में अंतरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित संकल्प विस्तृत निदेश एवं विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट educationbihar.gov.in पर देखा जा सकता है। विहित प्रपत्र संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से संबंधित जानकारी/अपेक्षित सूचना हेतु विभाग के Helpline No. 18003456444 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

(सुशील कुमार)
निदेशक, उच्च शिक्षा

विहित प्रपत्र

01.	छात्रा का नाम	07.	खाता संख्या
02.	महाविद्यालय का नाम	08.	बैंक IFSC कोड़
03.	परीक्षा क्रमांक	09.	मो0 न0
04.	निबंधन संख्या	10.	संकाय
05.	आधार संख्या	11.	सत्र
06.	बैंक का नाम	12.	परीक्षाफल प्रकाशन/उत्तीर्णता की तिथि

नोट :– **लाभुकों द्वारा संबंधित बैंक के खाता की प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति (जिस पर खाता संख्या एवं IFSC कोड अंकित हो) संलग्न की जाएगी ।**

छात्रा का हस्ताक्षर

Press bigapti 2018

पत्रांक 15/पी 5–07/2018
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, (बि0प्र0से0)
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक 2018

विषय: मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों से दिनांक 25.04.2018 के उपरांत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रति छात्रा रू0 25,000/– (पच्चीस हजार) मात्र की दर से एकमुश्त राशि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 300 (तीन सौ) करोड़ मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों से दिनांक 25.04.2018 के उपरांत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रति छात्रा रू0 25,000/– (पच्चीस हजार) मात्र की दर से एकमुश्त राशि उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रू0 300 (तीन सौ) करोड़ मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2434 दिनांक 25.04.2018 के आलोक में विभागीय आदेश संख्या 285 दिनांक 04.06.2018 के तहत उपर्युक्त योजना संचालित की जा रही है। समाज कल्याण विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या 2434 दिनांक 25.04.2018 के उपरांत राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एकमुश्त रू0 25,000/– (पच्चीस हजार) मात्र उपलब्ध कराया जाना है।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के तहत बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु रू0 300 (तीन सौ) करोड़ का योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध उपलब्ध है। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है। तत्काल बजट उपबंध के अनुसार कुल रू0 300 (तीन सौ) करोड़ स्वीकृति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के संदर्भ में प्राप्त होने वाले सांख्यिकीय प्रतिवेदन के अनुसार लाभुकों को उनके बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

4. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21 के अधीन मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, 107–छात्रवृतियाँ, 0109–मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना, विषय शीर्ष 3401 छात्रवृति/वजीफा, विपत्र कोड 21–2202031070109 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में होगा।

5. "मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना" अन्तर्गत अंगीभूत एवं राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) महाविद्यालयों के स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का अभ्यावेदन एवं वांछित समेकित सांख्यिकीय प्रतिवेदन विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा BTC FORM 43 पर सचिवालय कोषांगार, विकास भवन से करके लाभुकों को उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से राशि अंतरित की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण की जिम्मेवारी उच्च शिक्षा निदेशालय की होगी।

7. यह स्वीकृत्यादेश दिनांक 17.09.2018 को आयोजित लोक वित्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय एवं संचिका संख्या 15/पी 5–07/2018 के पृष्ठ 27/टि0 पर दिनांक 08.11.2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में दी गई स्वीकृति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

8. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 एवं संचिका संख्या 15/पी 5–07/2018 में दिनांक 15.11.2018 को पृष्ठ 29/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

9. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा महापरीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण (वित्त) विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस अनुदान राशि के लेखा का अंकेक्षण करें। अतएव इसके लिए संपूर्ण राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

11. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना को इसकी सूचना दी जा रही है।

12. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–07/2018 71 पटना, दिनाक 16/11/ /2018

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, शिक्षा विभाग के निजी सहायक/सभी उप निदेशक, उच्च शिक्षा/कुलपति/कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05, 14/रोकड़पाल, उच्च शिक्षा तथा विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरशद फिरोज)

सरकार के उप सचिव